घर घर औषधि योजना

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ. 14(OFC)2020/एफसीए/प्रमुवसं/ 4046 दिनांक 01/12/2022

शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः–Diversion of 0.0667 ha. forest land in favour of M/S TELESONIC NETWORKS LIMITED FOR Laying of Underground Optical Fiber Cable along the (Ratlam-Bamnia road within the existing ROW from KMS- 0/0 to KMS 11/00 Km) District-Banswara (Raj.) (प्रस्ताव सं. FP/RJ/OFC/51041/2020)

संदर्भः–भारत सरकार का पत्रांक 8बी/राज/12/30/2021/एफसी दि. 30.08.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र से चाही गई सूचना मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर के पत्रांक 8246 दिनांक 17.11.2022 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उक्त प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन संबधी कार्य की जानकारी प्राप्त होते हुए विभागीय स्टॉफ द्वारा तुरन्त मौके पर पहुचने पर पोकलेन मशीन के चालक श्री अमृतलाल पुत्र श्री कलजी जाती डामोर, निवासी ग्राम भरतगढ़, तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाडा द्वारा वनभूमि में बिना अनुमति के ट्रेंच खुदाई का कार्य करते हुए पाये जाने पर तत्काल कार्य को रुकवा दिया।
2. तत्तसमय मौके से पोकलेन मशीन व ट्रोले जब्त किये जाकर मौके पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए उक्त चालक के विरूद्ध राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 30 एवं 32 में नियमानुसार वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है तथा किये प्रकरण से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज उप वन संरक्षक द्वारा के पत्रांक 613–16 दिनांक 20.01.2021 से मुख्य वन संरक्षक को प्रस्तुत किये थे (संलग्न)
3. इस प्रकरण में मुल्जिम से दण्डात्मक राशि रू. 1,50,000/–(अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) वसूल की जाकर प्रकरण को अपशमन किया गया है।
4. प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी विभागीय स्टॉफ के विरूद्ध की गयी कार्यवाही के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने हेतु उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा ने पत्र क्रमांक 6791 दिनांक 09.11.2020 के द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़ को निर्देशित किया गया था।
5. उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा द्वारा इस कार्यालय को अवगत करवाया गया है कि उपरोक्तानुसार पोकलेन मशीन के चालक द्वारा वनभूमि में ओएफसी बिछाने हेतु मशीनों द्वारा खुदाई का कार्य दिनांक 21.09.2020 को रात्रि में चोरी–छुपे करवाया गया है, जिसकी जानकारी स्टॉफ को प्राप्त होते ही दिनांक 22.09.2020 को स्टॉफ द्वारा मौके पर पहुंच कर कार्य को तत्काल रूकवा दिया गया एवं कार्य में प्रयुक्त की गयी मशीनों को जब्त कर लिया गया।

Scanned with CamScanner

घर-घर औषधि योजना

6. इस प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए विभागीय स्टॉफ की साठ–गांठ अथवा लापरवाही नहीं होने से कोई भी विभागीय स्टॉफ जिम्मेदार नहीं है।
7. M/s Telesonic Networks Ltd. Indore (Madhya Pradesh) द्वारा बांसवाड़ा वन मण्डल के अन्तर्गत रेंज कुशलगढ़ के अधिन वन खण्ड कदवाली पोटलिया कि रक्षित वनभूमि में ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु 0.0667 हेक्टेयर वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तुत किया गया है।
8. उक्त वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़ की मौका निरीक्षण रिपोर्ट (प्रति संलग्न है) के अनुसार नियमों से भली–भांति विज्ञ होने के बावजूद भी यूजर एजेन्सी के द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही से बचने की मंशा से दिनांक 21.09.2020 की रात्रि में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करते हुए मशीनों के द्वारा सड़क मार्ग के किनारे पर वनभूमि में चोरी–छिपे OFC बिछाने का कार्य पूर्ण करवा दिया गया है, जिसके कारण क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़ द्वारा यूजर एजेन्सी के विरूद्ध नियमानुसार राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 30 एवं 32 के अन्तर्गत वन अपराध प्रकरण संख्या 97–21 दिनांक 22.09.2020 दर्ज किया जाकर यूजर एजेन्सी से रू. 1,50,000 दण्डात्मक राशि वसूल की गई है।

संलग्नः– उक्तानुसार।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,

राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14(OFC)2020 / एफसीए / प्रमुवसं / 4047 दिनांक 01/12/20

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर

Scanned with CamScanner

घर-घर
औषधि योजना

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर–313001

Email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no..0294-2418137

कमांक एफ 5 ( )वसु/मुवसं/2022–23/8246 दिनांक :– 17-11-2022

निमित्,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:—Diversion of 0.0667 ha forest land in favour of M/A Telesonic Networks Limited for laying of Underground Opticail Fiber Cable along the (Ratlam-Bamnia road within the existing ROW from Kms 0/0 to Kms 11/00 Kms) District – Banswara, Rajasthan.(Proposal No. FP/RJ/OFC/51041/22020)

संदर्भ :– भारत सरकार के ईडीएस दिनांक 30 अगस्त, 2022 के कम में। (पेज 34/C)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा आलौच्य प्रकरण में एक बिन्दु पर चाही गई वांछित सूचना के परिप्रेक्ष्य में उप वन संरक्षक, बांसवाडा द्वारा उनके पत्रांक /प () F.C.A./OFC/उवस/2021 /6778–81 दिनांक 10.11.2022 से तैयार कर प्रत्युत्तर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उप वन संरक्षक, बांसवाडा से प्राप्त प्रत्युत्तर इस कार्यालय की सहमति के साथ ऑनलाईन कर, हार्ड कॉपी संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार।

put up while
Ankur
19/11/22

भवदीय,

(आर.के.सिंह)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर।

कमांक पत्रा 5( )वसु/मुवसं/2022–23/ दिनांक :–

प्रतिलिपि:– उप वन संरक्षक, बांसवाडा को उनके पत्रांक 6778–81 दिनांक 10.11.2022 के कम में को सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर।

Scanned with CamScanner

कार्यालय उप वन संरक्षक, बाँसवाड़ा

दिनांक :–10/11/22

क्रमांक /प ( ) 14/F.C.A./OFC/उवसं/2021/6778-81

निमित्त,
सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक उदयपुर (राज.) आवक क्रमांक 7939 दिनांक 15/11/22

विषय :– Diversion of 0.0667 Hectare of Forest land in favour of M/s Telesonic Networks Ltd for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the (Ratlam - Bamnia road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 11/00Km)District-Banswara(Raj.)(FCA proposal No- FP/RJ/OFC/51041/2020)

सन्दर्भ :– GOVERNMENT OF INDIA,MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST& CLIMATE CHANGE,Integrated Regional Office,Jaipur के पत्रांक File No.8 बी/राज/12/30/2021/FC Dated 30.08.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि आप द्वारा चाही गई बिन्दु की सूचना निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

1-Officer responsible for violation and action taken under FCA,1980 shall be submitted by the State Govt.

प्रत्युत्तर :–

A. उक्त प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन संबधी कार्य कि जानकारी प्राप्त होते ही विभागीय स्टॉफ द्वारा तुरन्त मौके पर पहुचने पर पोकलेन मशीन के चालक श्री अमृतलाल पुत्र श्री कलजी जाती डामोर, निवासी ग्राम भरतगढ, तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा द्वारा वन भूमि में बिना अनुमति के ट्रेंच खूदाई का कार्य करते हुए पाये जाने पर तत्काल कार्य को रूकवा दिया।

B. तत्तसमय मौके से पोकलेन मशीन व ट्रोले जब्त किये जाकर मौके पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए उक्त चालक के विरूद्व राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 30 एवं 32 में नियमानुसार वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है तथा दर्ज किये प्रकरण से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज इस कार्यालय के पत्रांक 613–16 दिनांक 20.01.2021 से श्रीमान् को प्रस्तुत किये गये है जो कि संलग्न है।

C. इस प्रकरण में मुल्जिम से दण्डात्मक राशि रू. 1,50,000/–(अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) वसूल की जाकर प्रकरण को अपशमन किया गया है।

D. प्रकरण में FCA 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी विभागीय स्टॉफ के विरूद्व की गयी कार्यवाही के संबध में सूचना प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पत्र कमांक 6791 दिनांक 9.11.2020 के द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ को निर्देशित किया गया था।

E. जिसके कम में उनके पत्रांक 1561 दिनांक 21.12.2020 के द्वारा इस कार्यालय को अवगत करवाया गया है कि उपरोक्तानुसार पोकलेन मशीन के चालक द्वारा वन भूमि में ओएफसी बिछाने हेतु मशीनों द्वारा खुदाई का कार्य दिनांक 21.09.2020 की रात्री में चोरी–छुपे करवाया गया है, जिसकी जानकारी स्टॉफ को प्राप्त होते ही दिनांक 22.09.2020 को स्टॉफ द्वारा मौके पर पहुंच कर कार्य को तत्काल रूकवा दिया गया एवं कार्य में प्रयुक्त की गयी मशीनों को जब्त कर लिया गया।

F. इस प्रकरण में FCA 1980 के उल्लंघन के लिए विभागीय स्टॉफ की साठ–गांठ अथवा लापरवाही नहीं होने से कोई भी विभागीय स्टॉफ जिम्मेदार नहीं है।

G. M/s Telesonic Networks Ltd. Indore (Madhya Pradesh) द्वारा इस वन मण्डल के अन्तर्गत रेंज कुशलगढ़ के अधिन वन खण्ड कटेवाली पोटलिया कि रक्षित वन भूमि में ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु 0.0667 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

FCA
15/11

D:\FCA\Mayank\O F C\OFC ONLINE CASES\TELESONIC NETWORKS LIMITED Ratlam - Bamnia Road\Telisonic Ratlam - Bamnia.docx

Scanned with CamScanner

H. उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़ के पत्र क्रमांक 1561 दिनांक 21.12.2020 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट (प्रति संलग्न है) के अनुसार नियमों से भली–भांति विज्ञ होने के बावजूद भी यूजर एजेंसी के द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही से बचने की मंशा से दिनांक 21.09.2020 की रात्रि में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करते हुए मशीनों के द्वारा सड़क मार्ग के किनारे पर वन भूमि में चोरी–छिपे OFC बिछाने का कार्य पूर्ण करवा दिया गया है, जिसके कारण क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुशलगढ़ द्वारा यूजर एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 30 एवं 32 के अन्तर्गत वन अपराध प्रकरण संख्या 97–21 दिनांक 22.09.2020 दर्ज किया जाकर यूजर एजेंसी से ₹1,50,000 दण्डात्मक राशी वसूल की गई है (तत्संबंधित पत्रादी की छायां–प्रतियां संलग्न है)।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार (चार प्रतियों में)

भवदीय,

(जिगनेश शर्मा)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

क्रमांक / प ( ) 14 / F.C.A. / OFC / उवसं / 2021 / दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा एवं नॉडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी,कुशलगढ।
3. M/s Telesonic Networks Ltd. 3rd Floor, Metro Tower, Squire Scheme no. 54, Indore (Madhya Pradesh)

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

D:\FCA\Mayank\O F C\OFC ONLINE CASES\TELESONIC NETWORKS LIMITED Ratlam - Bamnia Road\Telisonic Ratlam - Bamnia.docx

Scanned with CamScanner